



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

दिनांक: 01.05.2025

फा. संख्या. NCST/DEV-4033/MH/1/2024-RU-I (RU-I)
फा. संख्या. NCST/DEV-2170/MH/75/2023-ESDW (RU-I)
फा. संख्या. NCST/DEV-463/MH/4/2022-RO-BH (RU-I)
फा. संख्या. NCST/DEV-1618/MH/21/2023-ESDW (RU-I)
फा. संख्या. NCST/DEV-1614/MH/19/2023-ESDW (RU-I)
फा. संख्या. NCST/DEV-1952/MH/63/2023-ESDW (RU-I)
फा. संख्या. NCST/DEV-2050/MH/114/2023-RO-BH (RU-I)

To,

डॉ. महेंद्र कल्याणकर,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्लम पुनर्वास प्राधिकरण, मुंबई
महाराष्ट्र सरकार, प्रशासनिक भवन,
अनंत कानेकर मार्ग,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051, महाराष्ट्र,
ई-मेल: ceo@sra.gov.in

डॉ. भूषण अशोक गगरानी,
नगर आयुक्त,
बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी),
द्वितीय तल, पुरानी बिल्डिंग,
बीएमसी मुख्यालय, महानगरपालिका मार्ग,
मुंबई-400001, महाराष्ट्र
ई-मेल आईडी: mc@mcgm.gov.in

विषय: भूमि से संबंधित उपरोक्त सभी मामलों में दिनांक 05.05.2025 को आयोग मुख्यालय में होने वाली सिटिंग के संबंध में।

संदर्भ 1: आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 22.04.2025 एवं 25.04.2025 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्यवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक 05.05.2025 को सिटिंग निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(R.K. Dubey/आर. के. दुबे)
Deputy Director/उप-निदेशक
E-Mail: rk.dubey@ncst.nic.in
Tel: No. 011-20819839